:: आदेश ::

अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, उत्तरकाशी के पत्र संख्या 1328/वन विभाग दिनांक 23 जुलाई 2021 के द्वारा जनपद उत्तरकाशी के देवीधार-धनारी-फोल्ड मोटर मार्ग से संताणगांव तक मोटर मार्ग निर्माण से प्रभावित होने वाली 2.05 है0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दोगुनी सिविल सोयम वन भूमि ग्राम मातली के खसरा संख्या 3105, 3111 एवं 3187 रक्वा 4.10 है0 चयनित कर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

उक्त के क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या 6115/पी0ए0(अ0जि0अधि0) 2020-21 दिनांक 26 जुलाई 2021 के द्वारा उप जिलाधिकारी, डुण्डा से स्पष्ट आख्या प्राप्त करने के निर्देश दिये गये। उप जिलाधिकारी, डुण्डा द्वारा अपनी आख्या पत्र संख्या 957/र0का0-क्षतिपूरक वृक्षा0/2021-22 दिनांक 03 अगस्त 2021 के द्वारा ग्राम मातली के खसरा संख्या 3105/1.018, 3111/1.943, 3187म./1.139 है0 कुल 4.100 है0 भूमि देविधार-धनारी-फोल्ड मोटर मार्ग निर्माण हेतु उपयुक्त/उपलब्ध है। उप जिलाधिकारी, डुण्डा की आख्या के अनुसार उक्त भूमि अब्बल ही वन विभाग के प्रबन्धन अभिलेखों में दर्ज है।

अतः उपरोक्तानुसार पूर्व में उपलब्ध करवायी गयी भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग, उत्तरकाशी के नाम नामांतरण/हस्तांतरण के आदेश एतद्द्वारा पारित किये जात हैं।

(तीर्थ पाल सिंह)
अपर जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी

कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

संख्या 6354/ग्यारह-विविध /2019-20 दिनांक 03 अगस्त, 2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव राजस्व, उत्तराखण्ड देहरादून ।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी ।
3. उप जिलाधिकारी, डुण्डा ।
4. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, उत्तरकाशी।

अपर जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी

नकल M24 खतौनी ग्राम मातली पट्टी बरसाली तहसील डुण्डा जिला उत्तरकाशी फसली (1425 से 1430 तक)

भूलेख प्रपत्र सं0 प–11

	वर्ग 9(3)क :-		
59.	वृक्षारोपण हेतु वन	3105	1.018
	विभाग के सम्बन्ध	3111	1.943
	में :-	3187	4.417
	योग	3	7.378

प्रतिलिपि सत्यापित।

[illegible signature]
02/08/2021
रा0 उप निरी0
मातली